वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में **Penalty** की गणना

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलना के खसरा सं0–1470 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 21.01.2018 द्वारा द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन0पी0वी0– प्रभावित वन भूमि (0.0768) × 9,57,780 =	73,557.00
2. प्रस्ताव के प्रकिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण – 5 × 73,557 =	3,67,785.00
3. 12 प्रतिशत Simple Interest = 3,67,785 × 12% =	44,134.00
4. पांच वर्ष की एन0पी0वी0 पर एक वर्ष का ब्याज (44134/5) =	8,827.00
5. सात वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज (8827 × 7) (सात वर्ष से उल्लंघन के कारण) =	61,789.00
6. पांच वर्ष की एन0पी0वी0, आठ वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज (367785 + 61789) =	4,29,574.00

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

E:\D Man-I\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No inprinciple\Petrol Pump Ukhlana\CA Scheme.doc